



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-07102025-266724
CG-DL-E-07102025-266724

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4412]

नई दिल्ली, मंगलवार, अक्तूबर 7, 2025/आश्विन 15, 1947

No. 4412]

NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 7, 2025/ASVINA 15, 1947

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 अक्तूबर, 2025

का.आ. 4540(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग नियंत्रण (भूमि और यातायात) अधिनियम, 2002 (2003 का 13) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में संख्यांक का.आ. 3292(अ), तारीख 16 सितंबर, 2019 द्वारा प्रकाशित सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

2. उक्त अधिसूचना में क्रम संख्या 3, क्रम संख्या 4, क्रम संख्या 5 और क्रम संख्या 6 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर सारणी में निम्नलिखित क्रम संख्याएं और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:-

क्र.सं.	अधिकारी
(1)	(2)
“3.	अपर सचिव/ संयुक्त सचिव (राजमार्ग), सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय- सदस्य
4.	मुख्य अभियंता (राजमार्ग प्रशासन प्रकोष्ठ), सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय- सदस्य
5.	सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के परियोजना परिक्षेत्र के सभी आंचलिक प्रमुख-सदस्य”।

[फा. सं. एनएच-11011/33/2019-एलए]

विनय कुमार, अपर सचिव

टिप्पण: मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में संख्यांक का.आ. 3292(अ), तारीख 16 सितंबर, 2019 द्वारा प्रकाशित की गई थी।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 6th October, 2025

S.O. 4540(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Control of National Highways (Land and Traffic) Act, 2002 (13 of 2003), the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of Government of India, Ministry of Road Transport and Highways published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) *vide* number S.O. 3292(E), dated the 16th September, 2019, namely:-

2. In the said notification for serial numbers 3,4,5 and 6 and the entries relating thereto, the following serial numbers in the Table, and entries shall be substituted, namely:-

Sr. No.	Officer
(1)	(2)
“3.	Additional Secretary/ Joint Secretary (Highways), Ministry of Road Transport and Highways-Member
4.	Chief Engineer (Highway Administration Cell), Ministry of Road Transport and Highways- Member
5.	All the Zonal Heads of the Project Zones of the Ministry of Road Transport and Highways-Members”.

[F. No. NH-11011/33/2019-LA]

VINAY KUMAR, Addl. Secy.

Note :The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) *vide* number S.O. 3292 (E), dated the 16th September, 2019.